GCMS 2021/38

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्री गंगानगर

दानाराम बनाम स्टेट व ~~अन्य~~

अपील प्रकरण सं02 5/2021

अधिवक्ता अपीलार्थी :–श्री विनोद भाटी　　　　अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट :–राकेश कुमार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
28.06.2021	अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 301.06.2021 को पेश हो।	
30.06.2021	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में दस्तबदारी का दावा लगाया गया था । उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश के विरूद्व अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के अपील की गई। राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.07.2016 जिसके आधार पर इन्तकाल दर्ज किया गया है में भी यह स्पष्ट लिखा है कि मीरा जीवित नहीं है तो उसके मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर सक्षम अधिकारी से वारिसों की जांच करवाकर नामान्तरण की कार्यवाही की जावें । अधीनस्थ न्यायालय ने मीराके मृत्यु के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की ना ही उसके वारिसान के सम्बन्ध में जांच की। अतः प्रथमदृष्टया इन्तकाल जेर अपील विधि विरूद्व दर्ज किया गया है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला यथास्थिति का आदेश फरमाया जावें। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा जो अपील पेश की गई उसके पूर्व में भी श्रीमान न्यायालय में अपील संख्या 34/2017 विचाराधीन है जिसमें अपीलांट को स्थगन नहीं मिलने के कारण अब दूसरी अपील पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया । अपीलांटन द्वारा जो अपील पेश की गई है वह राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 20.07.2016 की पालना में दर्ज इन्तकाल के विरूद्व पेश की गई है जिसे सुनने का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः अपील अपीलांट निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाने योग्य है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लोटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 30.06.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (भवानी सिंह पंवार) अति. जिला कलक्टर (प्रशासन),श्रीगंगानगर	